

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

कमांक प.12(2) /राज/वाद/19

दिनांक 23/3/22

:आदेश:

परिपत्र कं प.12(2)राज/वाद/19 दिनांक 26.02.19 को संशोधित करते हुए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय,जयपुर पीठ जयपुर/जोधपुर में राज्य पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे विद्वान महाधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्ता/राजकीय अधिवक्ता/राजकीय अधिवक्ता/अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता/उपराजकीय अधिवक्ता/गवर्नमेंट काउन्सिल/एडिशनल गवर्नमेंट काउन्सिल/डिप्टी गवर्नमेंट काउन्सिल को डिक्टेशन एवं टंकण चार्ज, पेज स्केन चार्ज, फोटोस्टेट चार्ज,वकालतनामा(मय निर्धारित शुल्क एवं अधिवक्ता कल्याण कोष शुल्क के स्टाम्प), फाईल कवर, लेस, शपथ पत्र प्रमाणीकरण, निर्णय की प्रमाणित प्रति चार्ज एवं अन्य भुगतान हेतु देय दरों को निम्नानुसार रिविजन/संशोधित किया जाना है:-

क्र.सं.	भद का नाम	दरें रूपये
01	डिक्टेशन व टंकण चार्ज प्रति फाईनल पृष्ठ	50.00
02	प्रति पेज स्केन चार्ज	0.50
03	फोटो स्टेट चार्ज प्रति पृष्ठ	2.00
04	वकालतनामा(मय निर्धारित शुल्क एवं अधिवक्ता कल्याण कोष शुल्क व स्टाम्प)	200.00
05	फाईल कवर, टेग्स आदि	150.00
06	प्रति शपथ पत्र प्रमाणीकरण चार्ज	100.00
07	निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्ति(सैकण्ड)	300.00
08	विधि खर्च	200.00

अधीनस्थ न्यायालयों में राज्य पक्ष की ओर से पैरवी हेतु नियुक्त लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक/राजकीय अभिभाषक/अतिरिक्त राजकीय अभिभाषक को विधि खर्च हेतु प्रति प्रकरण 600/- देय होंगे।

सभी अधिकारियों एवं विद्वान अधिवक्ताओं के ध्यान में लाया जाता है कि उक्त दरों से अधिक भुगतान का पुनर्भरण नहीं किया जायेगा। प्रशासनिक विभाग के प्रभारी अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वह भुगतान किये जाने वाली राशि का बिल प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार कार्यालय से राशि प्राप्त करेंगे और चुकाई गई राशि की रसीद प्राप्त कर कार्यालय में जमा करावेंगे।

उक्त दरें आदेश जारी किये जाने की दिनांक से प्रभावी होगी।

/ (अनुपमा राजीव बिजलानी)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1.महालेखाकार, राजस्थान,जयपुर।
- 2.माननीय महाधिवक्ता,राजस्थान,जयपुर।
- 3.समस्त निजी सचिव, मुख्य सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिवगण।
- 4.समस्त शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिवगण।
- 5.समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ता/राजकीय अधिवक्ता/राजकीय अधिवक्ता/अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता/उपराजकीय अधिवक्ता/गवर्नमेंट काउन्सिल/एडिशनल गवर्नमेंट काउन्सिल/डिप्टी गवर्नमेंट काउन्सिल।
- 6.समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलेक्टरस।
- 7.सयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय-5)।
- 8.विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ।
- 9.प्रोग्रामर विधि विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 10.राक्षित पत्रावली।

/ 23/3/2022
शासन सचिव